अभ्यर्थी नाम, परीक्षा केन्द्र, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं विषय/पद के अतिरिक्त सभी प्रकार के संशोधन ऑनलाईन कर सकेंगे। सभी संशोधनों हेतु शुल्क रूपये 300/– निर्धारित है।

4. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं किया जायेगा व उक्त ऑफलाईन/ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

परीक्षा शुल्कः–

(क) सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु :– **रुपये 350/–**

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु :– **रुपये 250/–**

(ग) समस्त निःशक्तजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, के आवेदकों हेतु –**रुपये 150/–**

नोट :–

1. टी.एस.पी क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं बारां जिले के किशनगंज और शाहबाद तहसील (राजस्थान) के सहरिया जनजाति हेतु भी परीक्षा शुल्क रूपये 150/– होगा।
2. **राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।**
3. किसी परीक्षा विशेष (जैसे राज्य पात्रता परीक्षा) को यदि केन्द्र सरकार के अनुसार या केन्द्रीय स्तर के संस्थान के नियमों के अनुसार आयोजित किया जाता है तो उसके लिए परीक्षा शुल्क व आरक्षण की प्रक्रिया भिन्न हो सकती है जिसका अवलोकन संबंधित विज्ञापन में किया जा सकता है।
4. राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदक शुल्क होगा। **उक्त लाभ राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के आवेदकों को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।**

Scheme and Syllabus of competitive examination for the post of Lecturer (School)

1. The competitive examination shall carry 450 marks.
2. There will be two Papers. Paper-I shall be of 150 marks and Paper-II shall be of 300 marks. Duration of Paper-I shall be one and a half hours and the duration of Paper-II shall be three hours.
3. All the questions in both the Papers shall be multiple choice type questions.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer, one-third of marks prescribed for that particular question can be deducted.
   Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.
5. Subjects included in both the Papers and the marks given to them are shown in the tables below.

Paper-I General Awareness and General Studies

Duration: One hour and thirty minutes

S.No.	Subject	Number of questions	Total marks
1.	History of Rajasthan and Indian History with special emphasis on Indian National Movement	15	30
2.	Mental Ability Test, Statistics (secondary Level), Mathematics (Secondary Level), Language Ability Test: Hindi, English	20	40
3.	Current Affairs	10	20
4.	General Science, Indian Polity, Geography of Rajasthan	15	30
5.	Educational Management, Educational Scenario in Rajasthan, Right to Education Act, 2009	15	30
	Total	**75**	**150**

Paper-II Subject concerned

Duration: Three hours

(a) For the post of Lecturer (School) – Sanskrit subjects
Medium of examination shall be Sanskrit Langurage.

S.No.	Subject	Number of questions	Total marks
1.	Knowledge of subject concerned: Varishtha Upadhyaya Level	55	110
2.	Knowledge of subject concerned: Shastri Level	55	110
3.	Knowledge of subject concerned: Acharya Level	10	20
4.	Educational Psychology, Pedagogy, Teaching Learning Material, Use of Computers and Information Technology in Teaching Learning	30	60
	Total	**150**	**300**

(b) For the post of Lecturer (School) – Other than Sanskrit subjects

S.No.	Subject	Number of questions	Total marks
1.	Knowledge of subject concerned: Senior Secondary Level	55	110
2.	Knowledge of subject concerned: Graduation Level	55	110
3.	Knowledge of subject concerned: Post-Graduation Level	10	20
4.	Educational Psychology, Pedagogy, Teaching Learning Material, Use of Computers and Information Technology in Teaching Learning	30	60
	Total	**150**	**300**

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :–

(1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व E-Mail ID अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी सूचनाएं SMS/E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व E-Mail ID बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(2) आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन–पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन–पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आशवस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।

(3) **अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।**

(4) आवेदक द्वारा स्वयं/ई–मित्र/अन्य किसी स्त्रोत से ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन–पत्र के Preview मे अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), योग्यता इत्यादि संबंधी त्रुटियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् ही उन्हें सुधारते हुए ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लेवें। **अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लेवें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा।** साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई–मित्र अथवा अन्य स्त्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई–मित्र अथवा अन्य स्त्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई–मित्र अथवा अन्य स्त्रोत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन–पत्र सही–सही भर दिया होगा/जायेगा।

(5) यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन–पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होनें के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण–पत्र/दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन–पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी/जायेगा।